झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं॰सं॰–8/ज॰ सं॰(नि॰)सु॰परि॰–01/2008 पार्ट–5 /राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो॰ सरफराज, कार्यपालक अभियंता, ने जबकि वे सहायक अभियंता, सोन बराज प्रमण्डल, इन्द्रपुरी के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त मो॰ सरफराज, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम–55 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– मो॰ सरफराज से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए श्री विनय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा– 8, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4– प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव/ विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः–
मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची।
श्री विनय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा– 08, जल संसाधन विभाग, रांची।
मो॰ सरफराज, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, रूपांकण प्रमण्डल, दुमका, शिविर देवघर, पो॰–डाबर ग्राम पिन– 814112 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि–अनुबंध की प्रति के साथ मुख्य अभियंता, योजना आयोजन एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ श्री विनय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा– 08, जल संसाधन विभाग, रांची/मो॰ सरफराज, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, रूपांकण प्रमण्डल, दुमका, शिविर देवघर, पो॰– डाबर ग्राम पिन– 814112 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2–जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु॰–यथोक्त।

ह०/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 193 / राँची, दिनांक – 13-1-15

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ वेव मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.1.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।
06.1.15